कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्यांक 4)

[21 मार्च, 1987]

उपज उपकर अधिनियम, 1966 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 का और संशोधन करने तथा खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 और वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 का निरसन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) अधिनियम, 1987 है।

अध्याय 2

उपज उपकर अधिनियम, 1966 का संशोधन

[1]* * * * * *

अध्याय 4

खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 और वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 का निरसन

11. 1979 के अधिनियम 4 का निरसन—खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 निरसित किया जाता है।

12. 1983 के अधिनियम 30 का निरसन—वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 निरसित किया जाता है।

अध्याय 5

उत्पाद-शुल्क के बकाया का संग्रहण

13. उत्पाद-शुल्क के बकाया का संग्रहण और संदाय—इस अधिनियम द्वारा उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) में किए गए संशोधनों में किसी बात के होते हुए भी या खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) या वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 30) का निरसन होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन उद्गृहीत कोई उत्पाद-शुल्क जिसका ऐसा प्रारम्भ के पूर्व संग्रहण नहीं किया गया है, भारत की संचित निधि में संदत्त किए जाने के लिए, उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संग्रहणीय होगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित न हुआ हो।

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा धारा 2 से 10 निरसित।